Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **070 Kaman** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Miss Nauksham

Bada Mohalla Kaman, Tehsil-Kaman, Dist-Deeg (Raj)

sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : M.S.J. College, Bharatpur Date : 03-12-2023

W

(Vinod Kumar Meena) Returning Officer 070 Kaman Assembly Constituency Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate, Kaman (VINOD KUMAR MEENA) Returning Officer 070 Kaman Assembly Constituency Sub Divisional Officer & Sub Division Magistrate-Kaman

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

070 कामां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

सुश्री **नौक्षम**

CHONE OF

बड़ा मौहल्ला कामां, तहसील-कामां, जिला-डीग (राजस्थान)

जो **भारतीय जनता पार्टी** द्वारा खड़े की गई हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान : एम.एस.जे. कॉलेज भरतपुर दिनांक : 03 दिसम्बर 2023

(विनोद कुमार मीना) रिटर्निंग ऑफिसर 070-कामां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कामां (विनोद कुमार मीना) रिटर्निंग अधिकारी 070 कामां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट-कामाँ)